संख्याः- 548/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः** 18-06-2026

विषयः :-स्टेट ई०ओ०सी० (State EOC) की स्थापना हेतु PMU के माध्यम से कन्सलटेन्ट की सेवाएं लिये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के प्रीपेयर्डनेस एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग मद से रू0 17.31 लाख की धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः-169/ ई०ओ०सी०/2026-27, दिनांक 07 मई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रबंध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ई०ओ०सी० के संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर के क्रय के सहायतार्थ, 05 वर्षों तक 01 पी०एम०यू० के माध्यम से कन्सलटेन्ट्स की सेवाएं लिये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये वित्तीय प्रस्ताव 4,81,05,060.00 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में वितीय वर्ष 2025-26 (ज्वाइनिंग डेट से दिनांक 31.03.2026) के अंतर्गत किये गये कार्यों में हुए व्यय के भुगतान हेतु रू0 17,31,027.5/- की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत Preparedness & Capacity Building मद से प्राधिकरण को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

Sl No.	Role	No. of Resources	Date of Joining	Duration in Month from date of Joining till 31 march,	Basic Price Per Month Rate in INR	Total Amount from date of joining till 31 march, 2026

				2026		
1	Project Manager	1	31.12.2025	3 Month 1 day	3,30,000.00	10,00,645.16
2	ICT/CCC Expert	1	23.02.2026	1 Month 6 day	3,05,000.00	3,70,357.14
(A)Total in Figures						13,71,002.3
(B) UPLC Institutional Charges @7%						95,970.16
(C) Total (A+B)						14,66,972.46
(D) GST @ 18% on C						2,64,055.04
Total (C+D)						17,31,027.5

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19.12.2024 में प्राप्त संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20.12.2024 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत प्राधिकरण के निर्माणाधीन भवन में स्टेट ई0ओ0सी0 के संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर क्रय के सहायतार्थ 05 वर्षों तक 01 पी0एम0यू0 के माध्यम से 02 कन्सल्टेन्ट की सेवायें लिये जाने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20.12.2024 में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि रू0 5,20,00,000/- में से प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 (ज्वाइनिंग डेट से दिनांक 31.03.2026) के अंतर्गत किये गये कार्यों में हुए व्यय (उपरोक्त विवरणानुसार) के भुगतान हेतु **रू0 17,31,027.5/- (रू0 सत्रह लाख इक्तीस हजार सत्ताईस रुपये पचास पैसे मात्र)** की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यू0पी0एस0डी0एम0ए0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक **22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार** किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य आपदा **प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।**

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनड़ीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 17,31,027.5/- (रू0 सत्रह लाख इक्तीस हजार सत्ताईस रुपये पचास पैसे मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 18-06-2026
14:13:12

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

<u>संख्या:- 548(1)/एक-10-2026, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्याः- 759/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 24-06-2026

विषयः :-स्टेट ई॰ओ॰सी॰ (State EOC) की स्थापना हेतु PMU के माध्यम से कन्सलटेन्ट की सेवाएं लिये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के प्रीपेयर्डनेस एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग मद से रू0 17.31 लाख की धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-548/एक-10-2026 दिनांक 18.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्राधिकरण के निर्माणाधीन भवन में स्टेट ई0ओ0सी0 के संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर क्रय के सहायतार्थ 05 वर्षों तक 01 पी0एम0यू0 के माध्यम से 02 कन्सलटेन्ट की ली गयी सेवाओं के भुगतान किये जाने हेतु रू0 17,31,027.5/- (रू0 सत्रह लाख इक्तीस हजार सत्ताईस रुपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं 3 में अंकित धनराशि रू0 17,31,027.5/- (रू0 सत्रह लाख इक्तीस हजार सत्ताईस रुपये पचास पैसे मात्र) के स्थान पर रू0 17,31,027/- (रू0 सत्रह लाख इक्तीस हजार सत्ताईस रुपये मात्र) पढ़ा जाय। शेष शर्तें/बिन्दु यथावत रहेंगे एवं उक्त शासनादेश सं0-548/एक-10-2026 दिनांक 18.06.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 24-06-2026
20:43:09

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्याः- 759(1)/एक-10-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-25/06/2026

प्रेषण संख्या:- 548
आवंटन आदेश संख्या:- 001-548
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	1731027 46939005	1731027 46939005
	योग	वर्तमान प्रगामी	1731027 46939005	1731027 46939005

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह लाख इकत्तीस हजार सत्ताइस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ उनहत्तर लाख उनतालीस हजार पाँच

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2026.06.25 06:13:19 +05:30